

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
मंगलवार, 30 अगस्त, 2005/भाद्रपद 09, 1927(शक)

संख्या : 108 A

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तीसरी विधान सभा के पांचवें सत्र का प्रारंभ:

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तीसरी विधान सभा का पांचवां सत्र वृहस्पतिवार, दिनांक 22 सितम्बर, 2005 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में प्रारंभ होगा।

पांचवें सत्र के दौरान कार्य निष्पादन के लिये दिनों का आबंटन:

कार्य निष्पादन हेतु विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर 22, 23 एवं 26 सितम्बर, 2005 के लिए निर्धारित की गई हैं।

विधान सभा की बैठकों का समय:

विधान सभा की बैठकें अपराह्न 2.00 बजे प्रारंभ होगी और तब तक चलेंगी जब तक उसे उस दिन के लिये स्थगित न कर दिया जाये।

प्रश्नों की सूचनाएं एवं बैलेट:

पांचवें सत्र के लिये प्रश्नों की सूचनाएं तत्काल प्रभाव से प्राप्त की जायेगी।

पांचवें सत्र के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिये दिनों का आबंटन (नियम-37):

मंत्रियों द्वारा पांचवें सत्र में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नानुसार दिनों को निर्धारित किया गया है: -

टेप्पणी

क्र. सं.	विभाग	बैठक की तिथि	कॉलम-2 में दर्शाये विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की तिथि (अप. 3.00 बजे तक)	मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेटिंग की तिथि (अप. 5.00 बजे)
1	2	3	4	5
1	शहरी विकास, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, भूमि एवं भवन, उद्योग, चुनाव, उच्च शिक्षा, आबकारी, भाषा, कला एवं साहित्य, सतर्कता, अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण, खाद्य अपमिश्रण,	22.9.2005	9.9.05	9.9.05
2	शिक्षा, ऊर्जा, राजस्व, लोक निर्माण एवं आवास, सेवाएं, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, वित्त, यशोजना, विकास, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य, प्रशासनिक सुधार, बिक्री कर, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन	23.9.2005	12.9.05	12.9.05
3	जल, परिवहन, खाद्य एवं संभरण, समाज कल्याण, रोजगार, गृह, कारागार, पर्यटन, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, श्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, सहकारिता, गुरुद्वारा चुनाव एवं गुरुद्वारा प्रशासन, सामान्य प्रशासन विभाग, सूचना एवं प्रचार	26.9.2005	13.9.05	13.9.05

प्रश्न सामान्यतः एक ही विभाग से संबंधित होने चाहिए (नियम-31(xxii)) पांचवें सत्र हेतु प्रश्नों की सूचना तत्काल प्रभावी होगी ।

माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि कालम 3 और 4 के अनुसार यदि विभिन्न विभागों से संबंधित किसी प्रश्न की सूचना अंतिम तिथि और समय के पश्चात प्राप्त होगी तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जायेगी । सूचनाएं प्राप्त करने का समय अपराह्न 3.00 बजे तक है ।

जहां प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाये, वहां ऐसे प्रश्न को ग्राह्य बनाने हेतु उसके साथ संबंधित समाचारों की कतरन नत्थी करना आवश्यक है । इस तरह के जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जायेंगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

प्रश्नों को संयुक्त केवल उसी स्थिति में किया जायेगा, जब एक ही तरह के विषय पर बहुत से प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त होंगी । बाद में प्राप्त की गयी सूचनाएं, यदि उसी विषय से संबंधित होंगी तो उन्हें नियम-31(vii) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जायेगा ।

112

5. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत स्पष्टता और सफाई से दें। यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. प्रश्नों की बैलेटिंग सचिव के कमरा नं.54 में दिए गये समयानुसार की जायेगी। सभी माननीय सदस्य बैलेटिंग में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित हैं।
7. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि दिल्ली नगर निगम के दैनिक प्रशासन और कार्यकलापों से संबंधित सूचनाएं न दी जाएं। ऐसे प्रश्नों को नियम 31(xiii) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जायेगा।

नियम 280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख:

जो माननीय सदस्य नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते हैं, प्रस्तावित विषय की सूचना उसी दिन पूर्वाह्न 11.00 बजे तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11.15 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी। माननीय सदस्यों से बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जाता है।

सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8-10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय केवल मूल पाठ ही पढ़ें। विषय केवल एक ही विभाग एवं एक मुद्दे से संबंधित होना चाहिए। विधान सभा सचिवालय संबंधित विभाग को प्रायः उल्लेख के पाठ को ही अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजता है।

गैर सरकारी सदस्यों का कार्य:

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक एवं संकल्प

शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2005 को होने वाली सदन की बैठक की तिथि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों के लिए आबंटित की गयी है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि शुक्रवार, 09 सितम्बर, 2005 को अपराह्न 3.00 बजे तक है एवं 09 सितम्बर, 2005 को अपराह्न 4.30 बजे सचिव के कक्ष में बैलेटिंग होगी। माननीय सदस्यों का बैलेटिंग में भाग लेने के लिए स्वागत है।

नोटिसों की प्रक्रिया

(क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 258 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो इस प्रकार से हैं: -

- (1) नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में सचिव को सम्बोधित करते हुए दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी जिसमें उसकी विभाजन संख्या भी दर्शायी जायेगी तथा कार्यालय में ही दी जायेगी जो कि इस प्रयोजन के लिये शनिवार, रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन समय-समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिये खुला रहेगा।
- (2) सूचना कार्यालय में उप-नियम (1) के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद प्राप्त हुई सूचनाएं अगले कार्य दिवस के लिये दी गई समझी जायेगी।

- (ख) नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर मत विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे विधान सभा के नोटिस कार्यालय में जमा कराना चाहिए । नोटिस कार्यालय कमरा नंबर 46 (समाज कल्याण मंत्री के कार्यालय से आगे) स्थित है ।
- (ग) विधान सभा के नोटिस कार्यालय में दिए गए सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है ।
- (घ) विधान सभा के नोटिस कार्यालय ही सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है । अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा के किसी अन्य अधिकारी/शाखा को दें यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उनके द्वारा दिये गये नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा ।
- (ङ.) विधान सभा नोटिस कार्यालय द्वारा नोटिसों को प्राप्त करने के लिए विनिर्दिष्ट समय उनके लिए उल्लिखित तिथियों को प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच है । माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु नोटिस कार्यालय से कार्यालय समय के दौरान खुला रहेगा ।

दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र :

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी करने के आवेदन-पत्र जिस दिन के लिए प्रवेश पत्र चाहिए, उस दिन से पूर्व एक कार्य दिवस को अपराह्न 5.00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जाएं । उदाहरणार्थ 22/09/2005 को होने वाली सदन की बैठक के लिए दर्शक दीर्घा के लिये आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् 21/09/2005 को अपराह्न 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे । इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के दीर्घा प्रवेश पत्रों के लिये आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जायेगी और वे इसी प्रकार से स्वीकार किये जाएंगे ।

दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे । दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र सामान्यतः उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे ।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों की सिफारिश करें जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भांति जानते हैं ।

टिप्पणी:

कृपया मोबाइल टेलिफोन आदि सदन के बाहर ही रखें ।

यदि किसी कारणवश ले आये हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सदन में इनके स्विच बंद रहें ।

सिद्धार्थ राव
सचिव

1/44

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)
Tuesday 30th August 2005/ 8 Bhadrapada 1927 (Saka)

No. 103A

COMMENCEMENT OF THE FIFTH SESSION OF THE THIRD LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI:

Hon'ble Members are informed that the Fifth Session of the Third Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Thursday the 22nd September 2005 in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

ALLOTMENT OF THE DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING FIFTH SESSION:

The sittings of the Legislative Assembly for the transaction of business have been tentatively fixed for 22, 23 and 26th September 2005.

TIME OF SITTINGS OF LEGISLATIVE ASSEMBLY:

The sitting of the Legislative Assembly shall commence at 2.00 P.M. and continue till it is adjourned for the day, unless the Speaker directs otherwise.

NOTICES OF QUESTIONS:

Notices of questions for the Fifth Session will be received with immediate effect.

ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS DURING THE FIFTH SESSION (RULE 37):

For the Fifth session the days for answering questions by Ministers in respect of various Departments have been arranged as follows:

...2/-

Sl. No.	Groups of Departments	Date of sitting	Last date for receipt of questions for the Department in col. 2 (Up to 3.00 PM)	Date of holding ballot for determination of priority for oral questions (At 5.00 PM)
1	2	3	4	5
1	Urban Development, Medical & Public Health, Land & Building, Industries, Elections, Higher Education, Excise, Language, Art & Culture, Vigilance, Welfare of SC/STs., PFA.	22.9.2005	9.9.2005	9.9.2005
2	Education, Power, Revenue, PWD & Housing, Services, Irrigation & Flood Control, Finance, Planning, Development, Law, Justice and Legislative Affairs, Administrative Reforms, Sales Tax, Environment, Forests & Wildlife.	23.9.2005	12.9.2005	12.9.2005
3	Water, Transport, Food & Civil Supplies, Social Welfare, Employment, Home, Jail, Tourism, Training & Technical Edn., Labour, Information Technology, Co-operative, Gurudwara Elections & Administration, General Administration Department, Information and Publicity	26.9.2005	13.9.2005	13.9.2005

Note:

- (1) The question should primarily relate to one Department only {(Rule 31(xxii))}.
- (2) Members may kindly note that if notice of question is received after the last date and time in respect of various departments vide col. No.3 and 4, such a notice shall stand disallowed. The time for receipt of notices shall be up to 3.00 P.M. on the last date of receipt of questions for departments as shown in column 4 above.

- (3) Where the **questions draw a reference to a news item** published in a national or local daily, the question in order to be admissible, **must be accompanied by the relevant clipping of the news items**. The questions not accompanied by relevant clippings are likely to be disallowed.
- (4) The clubbing of questions will be done in case several notices of question on the same subject matter are received. Notices or questions subsequently received and repeating in substances the same subject – matters are liable to be disallowed {(Rule 31 (vii))}.
- (5) Members are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of questions. If no priority is indicated, the same will be decided according to the Rules.
- (6) Ballot will be held in the room of the Secretary (Room No. 54) as per schedule indicated. Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.
- (7) Members may kindly note that notices of questions relating to day- to - day administration and functioning of Municipal Corporation of Delhi may not be entertained. The same are liable to be disallowed under Rule 31(xiii).

SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 280:

Members who want to raise matters under Rule 280 may give notice of the same by 11.00 A.M. on the day the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the room of the Secretary at 11.15 AM on each day. Hon'ble Members are requested to participate in the balloting.

Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

PRIVATE MEMBER'S BUSINESS:

The sittings of the House to be held on Friday the **23rd September 2005** has been allotted for **Private Members Bills and Resolutions**.

The **last date** of receipt of notices of Private Member's Bills and Resolutions is **Friday the 9th September 2005 (up to 3.00 PM)** and the balloting shall take place at 4.30 PM on same day in the room of Secretary. Members are welcome to participate in the balloting.

PROCEDURE OF NOTICES:

(a) Kind attention of the members is invited to Rule 258 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows: -

(1) Every notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary and signed by the member giving notice, also indicating his division number, and shall be delivered in the Notice Office between such hours as notified from time to time, on every day except Saturdays, Sundays and public holidays.

(2) A notice received in the Notice Office after the hours other than those specified in sub-rule (1) shall be treated as given on the next working day.

(b) The Notice Office is located in Room No. 46

(c) All notices delivered in the Assembly Notice Office are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.

(d) As the Assembly Notice Office is alone responsible for transmission of the notices to the Branches/Officers concerned without delay, Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Members do so, it is not likely to be taken note of.

(e) The Assembly Notice Office shall remain open during office hours i.e. 9.30 AM to 6.00 PM.

VISITORS' GALLERY:

As per direction of Hon'ble Speaker, Application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5.00 PM on the working day previous to the date for which the gallery passes are required. For example, application for the gallery passes meant for sitting of the House on 22nd September 2005 will be accepted up to 5.00 PM on the earlier working day i.e. 21st September 2005. Similarly, an application for gallery passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes shall ordinarily be issued to a member for each sitting. No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Members are requested to recommend issue of gallery pass only for those visitors whose antecedents are well known to them.

NOTE: - Hon'ble Members may kindly ensure that cellular phones, pagers or other electronic gadgets etc are kept outside the House or are kept switched off.

Siddharath Rao
Secretary